Result Mitra Daily Magazine

विचाराधीन कैदी

➢ हालिया संदर्भ :

- हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जिन विचाराधीन (Undertrials) कैदियों ने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का एक–तिहाई से ज्यादा भाग काट लिया है, उन्हें 26 नवंबर (संविधान दिवस) से पहले रिहा किया जाना चाहिए।

➢ मुख्य बातें :

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा–479 में विचाराधीन कैदियों को हिरासत में रखने की "अधिकतम अवधि" निर्धारित की गई है।
- धारा–479 में वर्णित है कि एक कैदी जो मृत्यु या आजीवन कारावास वाले अपराधों के लिए दंडनीय नहीं है और उसने अगर अपने अपराध के लिए निर्दिष्ट अधिकतम कारावास अवधि का आधी अवधि हिरासत में बिताया है तो उसे रिहा किया जाना चाहिए।

  Note :– उपरोक्त प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Cr. Pc) में भी शामिल था, जो धारा–436 A में वर्णित था।

- BNSS में वर्णित है कि यदि पहली बार अपराधी हो तो न्यायालय द्वारा उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा, यदि उसने निर्दिष्ट अपराध के लिए अधिकतम कारावास का एक–तिहाई भाग हिरासत में बिता लिया हो।

Result Mitra

Note :– इसी प्रावधान में स्पष्ट वर्णन है कि यदि व्यक्ति एक से अधिक अपराधों के लिए दोषी है या एक ही व्यक्ति से जुड़े कई मामले लंबित है तो व्यक्ति को न्यायलय द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा।

➢ सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या :

- सुप्रीम कोर्ट (SC) की पीठ (न्यायमूर्ति हिमा कोहली एवं संदीप मेहता) ने 1382 जेलों में अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे विचाराधीन कैदियों के मामले में सुनवाई की।
- यह मामला जनहित याचिका के रूप में तब सामने आया, जब भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर. सी. लोहटी ने न्यायालय को एक पत्र भेजा, जिसमें जेलों में भीड़–भाड़, कैदियों की अप्राकृतिक मुद्दों आदि पर प्रकाश डाला गया था।
- वरिष्ठ अधिवक्ताओं के एक समूह ने BNSS की धारा–479 को जल्द से जल्द लागू करने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर SC ने आदेश दिया कि धारा–479 उन मामलों पर 'पूर्वव्यापी' (पहले के मामलों पर भी लागू) रूप से लागू होगा, जो पहली बार अपराध करने वाले व्यक्तियों से संबंधित है।
- SC ने सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 2 महीने के भीतर हलफनामे दाखिल करने का आदेश दिया, जिसमें धारा–479 के लाभार्थियों का विस्तृत विवरण होना चाहिए, यथा :– विचाराधीन कैदियों की संख्या, उनकी रिहाई से संबंधित आवेदनों की संख्या, वास्तव में रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों की संख्या आदि।

➢ जेल अधीक्षक का दायित्व :

- SC ने जेल अधीक्षकों को उपरोक्त डेटा के साथ रिपोर्ट भेजने को भी कहा ताकि विभिन्न सरकारें अपने हलफनामे में इसे एकत्र कर सकें।
- धारा–479 जेल अधीक्षक पर यह दायित्व आरोपित करती है कि वह इस धारा के तहत संबंधित व्यक्तियों के लिए जमानत अर्जी डालें, जिन्होंने आधा या एक–तिहाई सजा काट लिया हो।

Note :– पिछले महीने की एक रिपोर्ट से पता चलता हुआ कि केवल 19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने ही SC के आदेश पालन की दिशा में कदम उठाए है।

➢ भारत में विचाराधीन कैदी :

- नेशनल क्राईम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट 'Prison Statistics India, 2022' (दिसंबर 2023 में प्रकाशित) के अनुसार, भारतीय जेलों में बंद 5,73,220 कैदियों में से 4,34,302 विचाराधीन कैदी है, जो कुल कैदियों के 75.8 प्रतिशत है।
- रिपोर्ट के अनुसार, जेल में बंद 23,772 महिला कैदियों में 18,140 लगभग 76.33 प्रतिशत विचाराधीन है।

Result Mitra

- रिपोर्ट में यह वर्णित नहीं है कि कितने विचाराधीन कैदी पहली बार अपराध से संबंधित हैं, लेकिन यह वर्णन है कि सभी विचाराधीन कैदियों में से लगभग 8.6% कैदी 3 वर्ष से ज्यादा समय से जेल में बंद है।

Result Mitra